निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 54/2024
दायरा दिनांकः–01.10.2024
निर्णय दिनांकः–

उनवान

1. चौथमल आयु 49 साल पुत्र बिशनलाल
2. मांगीलाल आयु 70 साल पुत्र बिशनलाल जातियान बैरवा निवासीगण ग्राम कोटडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः–

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री सोमेश कुमार गालव – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल.आर. एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल कोटड़ी पटवार मण्डल कडैयावन तहसील छबड़ा की अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2075 2078 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी मे खाता संख्या 107 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 449 रकबा 1.7452 हैक्टयर खातेदारान चौथमल पुत्र बिशना हिस्सा 1/2 जाति चमार सा. देह एंव मांगीलाल पुत्र बिशना हिस्सा 1/2 जाति चमार सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी चली आ रही है। जिस पर प्रार्थीगण निर्वाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है। जमाबंदी सम्वत 2030–2033 मे वाके खाता माल कोटडी के खाता संख्या 122 खसरा नम्बर 449 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा खातेदार बिशनलाल पिता घांसी चमार सा. देह प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी है जो रोटेशन जमाबंदी सम्वत 2034 2037 मे खाता संख्या 122 मे प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियो के सहवन से बिशनलाल पिता घांसी के स्थान पर विशना पुत्र घांसी दर्ज हो गया है जिसे प्रार्थीगण विशनलाल दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, वगेरहा सभी दस्तावेजो मे प्रार्थीगण के पिता का नाम बिशनलाल एंव जाति बैरवा निवासीगण कोटड़ी दर्ज है। प्रार्थना पत्र मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम बिशना एंव जाति चमार दर्ज रिकार्ड है जो अशोभनीय एव अशुद्ध है जिसे प्रार्थीगण शोभनीय एंव शुद्ध दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र की मद

अधिवक्ता
राष्ट्रीय लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नम्बर 1 में वर्णित आराजी वाके माल कोटड़ी तहसील छबडा मे होने से श्रीमान के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार मे है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 107 नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सम्वत् 2030–33 नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सम्वत् 2034–37 खाता संख्या 122 नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 80 नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 104 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड, चौथमल मतदाता पहचान पत्र चौथमल परिवार राशन कार्ड चौथमल बैंक पास बुक चौथमल सैकेण्ड्री स्कूल 1991 की अंक तालिका जन आधार कार्ड आधार कार्ड मांगीलाल परिवार राशन कार्ड मांगीलाल बैंक पास बुक मांगीलाल जन आधार कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडी तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम कोटडी सम्वत् 2030–33 में खातेदार बिशनलाल पुत्र घांसी जाति चमार सा0देह दर्ज है सम्वत् 2034–37 की जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम बिशनलाल के स्थान पर बिशना दर्ज हो गया जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराना चाहतें है प्रार्थीगण के अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम बिशनलाल है तथा जाति बैरवा दर्ज है विवादित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम बिशना एवं जाति चमार दर्ज है जो अशोभनीय एवं अशुद्ध है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के पिता का नाम बिशना के स्थान पर बिशनलाल एवं जाति चमार के स्थान पर बैरवा दर्ज किया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। लोक आदालत की भावना से वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार ने मामला लोक अदालत में निस्तारण का अग्रह किया जिसको स्वीकार कर पत्रावली को लोक अदालत में दिनांक 22.12.2024 में रखने हेतु निस्तारित किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी तहसील छबडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 107 में प्रार्थीगण के पिता का नाम बिशना जाति चमार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सम्वत् 2030–33 में खातेदार बिशनलाल पुत्र घांसी जाति चमार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सम्वत् 2034–37 खाता संख्या 122 में बिशना पुत्र घांसी जाति चमार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 88 में बिशना पुत्र घांसी कोम चमार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 184 में मांगीलाल चौथमल पुत्र बिशना जाति चमार दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीगण के पिता का नाम सम्वत् 2030–33 में बिशनालाल पुत्र घांसी था परन्तु बाद में प्रार्थीगण के पिता का नाम बिशना दर्ज कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पिता का नाम बिशनलाल दर्ज है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम कोटडी के खाता

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

संख्या 107 में दर्ज खातेदार चौथमल मांगीलाल पुत्र बिशना जाति चमार के स्थान पर चौथमल मांगीलाल पुत्र बिशनलाल जाति बैरवा दर्ज करवाना चाहता है राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प 4 (1) राज.6/2022 दिनांक 23.12.2020 से काश्तकारी की जाति दुरूस्त करने का हवाला देते हुए ग्राम कोटडी के खाता संख्या 107 में दर्ज चौथमल मांगीलाल पुत्र बिशना जाति चमार के स्थान पर चौथमल मांगीलाल पुत्र बिशनलाल जाति बैरवा दर्ज करने की अनुशंषा की गई। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करें प्रार्थीगण के पिता का नाम बिशना के स्थान पर बिशनलाल एवं जाति चमार के स्थान पर बैरवा दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 449 रकबा 1.7452 है0 में प्रार्थी चौथमल मांगीलाल पुत्र बिशना जाति चमार के स्थान पर चौथमल, मांगीलाल पुत्र बिशनलाल जाति बैरवा दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत